

दैनिक अख्ति

हिन्दी दैनिक
संपादक : संजय आर। मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर
श्री स्वामी रामानन्द
दासजी महाराज
श्री गमानन्द दास अनक्षेत्र सेवा
ट्रस्ट, तपोवन आश्रम



वर्ष-9 अंक: 335 ता. 17 जून 2021, गुरुवार कार्यालय: 114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, उद्धना सूरत (गुजरात) मो। 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये



नए IT नियमों का पालन न करने पर टिक्टोक को लेकर सरकार ने दिखाई सख्ती, भारत में गंवाया कानूनी सुरक्षा का आधार

नई दिल्ली। नए आईटी नियमों का पालन न करना ट्रिवटर को भारी पड़ गया है। जानकारी मिली है कि भारत में अब ट्रिवटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा

दिया है। ट्रिवटर की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का अनुपालन अब तक नहीं किया जा सकता, जिसके पाद उसके खिलाफ यह ऐक्शन लिया गया है। यानी ट्रिवटर पर भी अब आईटीसी के तहत मामले दर्ज हो सकते और पुलिस पूछताछ भी कर सकती है। ट्रिवटर पर यह सभी ऐसे समय में हुई हैं कि जब एक वायरल वीडियो के संबंध में उत्तरगांधीजयन्त्राबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर ट्रिवटर पर कानूनी ऐक्शन लिया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ट्रिवटर के खिलाफ 25 मई के बाद दर्ज एवं गए किसी भी मामले में उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसका सार्थक सार्थक यह है कि अब ट्रिवटर के खिलाफ किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को लेकर भारतीय डॉक्यूमेंट्स के तहत ऐक्शन लिया जाएगा।

साहा का तिथि एकत्र लिया जा सकता है। इस कदम के बाद ही टिवटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला यह कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है। जबकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वॉट्सप्प, इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के पास अभी भी यह सुरक्षा है। इससे पहले मालवार को टिवटर ने कहा था कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुद्दा अनुपालन कर्तव्यकारी नहीं कर लिया है। जब उन्होंने अधिकारी का व्योग सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सज्जा किया जाएगा। सरकार ने टिवटर को दिए एक नीटिस में कहा था कि उस नियमों के अनुपालन का अखिरी मौका दिया जाएगा। उसे तकाल नियमों का अनुपालन कराया है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून के तहत दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। इसके साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दातव्यकारी प्रबन्धानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाएगा।

कानूनी छूट खत्म होने के बाद FIR दर्ज करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश



दिल्ली में अभी पड़ेगी गर्मी की मार, मॉनसून रेप के बाद किया मर्डर, फिर आत्महत्या दिखाने के लिए और लंबा हुआ इंतजार

अब हिमाचल में बीजेपी ने विधायकों से माँगी कामकाज की रिपोर्ट

राजाव से पहले क्षेत्र जा रहे थे।

शिमला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में बैठकों का दौर शुरू होने के बाद अब बीजेपी ने हिमाचल पर भी फोकस बढ़ाया है। इस पालाड़ी राज्य में आगे साल चुनाव आये वाले हैं और उससे पहले पार्टी सरकार और संगठन के सभी पैच कास लेना चाहती हैं। यही बजह है कि पार्टी ने आगे सभी विधायकों से सेल्क असेसमेंट रिपोर्ट मांगा है। पार्टी के अब तक के शासनकाल के दौरान क्षेत्र में उनका काम कैसा रहा है। इस संबंध में रिपोर्ट तत्वज्ञी की गई है। विधायिकों के अलावा चुनाव में हार गए प्रत्याशियों से भी रिपोर्ट तत्वज्ञी की गई है और पूछा गया है कि इस दौरान आपने अपने कितने और कैसे काम किया। हिमाचल प्रदेश में आगे साल के अंत तक चुनाव होने हैं। बीजेपी के सत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर होने वाले उत्तराखण्ड के लियाज से भी यह रिपोर्ट अहम रहेंगी। फिलहाल पार्टी मंडी लोकसभा और जुलूस कठियाड़ी एवं फोलहासुर विधानसभा सीट पर उत्तराखण्ड की तैयारी में जुटी है। मालवार को बीजेपी के कारण युपी की मीटिंग थी और इस दौरान उत्तराखण्ड एवं आगे साल होने वाले चुनाव में मिशन रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई। पार्टी की ओर से तीन दिनों के लिए मीटिंग बलाई गई है, जो 17 जून तक चलेगी। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सुश्रेष्ठ कश्यप, सीपीए जयराम ताठुरा, पूर्व साल एम प्रमोद राधमाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ताठुरा और पार्टी के प्राक्त्रिक अधिनियम शाय खान और सह प्रभारी सज्जय टड़वा भी शामिल होंगे।

अब कोविन पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं, सीधे सेंटर पर जाकर ले सकते हैं टीका: खास्त मुंगालिय



कहा जाता है कि कोविन प्लेटफॉर्म, वॉक-इन के अलावा टीकाकरण के लिए पंजीकरण के कई तरीकों में से एक है। वैक्सीनेशन का रफ्तार बढ़ाने के लिए हेल्पर्स कर्कस और आशा कायाकरता वैक्सीन लेने वालों का ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में जुड़ा गया। अप्रूवित दवाओं के द्वारा दिया गया

करेंगे। ब्यान में कहा गया कि 13 जून तक कोविन पर पंजीकृत 28.36 करोड़ लाभार्थियों में से 16.45 करोड़ (58 प्रतिशत) लाभार्थियों को ऑन-साइट मोटर में पंजीकृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि 13 जून तक कोविन पर दर्ज कुल 24.84 करोड़ वैक्सीन खुराक में से 19.84 करोड़ खुराक (लगभग 80 प्रतिशत) को ऑन-साइट पंजीकरण के माध्यम से दिया गया। यहां कि इस साल 16 जनवरी तो भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अधिभान का आगाज हुआ था। अब तक देश में अब तक कोविड-19 टीकों की 26 करोड़ से अधिक खुराक लागा गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि पंजीकृत होने 12-14 दिनों के अंदर

के 13,13,438 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गयी किंतु 54,375 लोगों को दूसरी खुराक लगायी गयी। मंत्रालय को मुताहिद, देश में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक देशभर में 18-44 साल के आयु वर्ग के 4,49,87,004 लोगों ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक और 8,95,517 लोगों ने दूसरी खुराक ली है। उसने कहा कि विहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, कर्णाटक, मथुरा, प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 साल के 10-10 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली जीती है।

गाजियाबाद में कांग्रेस नेता और टिक्टूर समेत 9 पर एफआईआर, वीडियो वायरल होने से नहीं रोकने का लगा आरोप

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक बुरुंगा के साथ मारपीटों और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने नौ लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें दो कांग्रेस नेता और टिवरर इंडिया भी शामिल हैं। इनपर लोगों में हुई घटना को गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की वजह से यह घटना ही रही है। शाम में दिल्ली पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बुरुंगा मुस्लिम को पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। पुलिस की तफ पर से यह कार्रवाई ऐसे इसपर सवाल खड़े किए वहीं सीएम योगी ने उठें यूपी को बदनाम न करें की नसीहत दी थी। एफआईआर में गाजियाबाद पुलिस ने कहा है, %लोगों में हुई घटना का कोई सांप्रदायिक एपिल नहीं है जिसमें एक आदमी की पिटाई की गई और दाढ़ी काटी गई। निम्नलिखित संस्थाएं- द वायर, राणा अच्युत, मोहम्मद जुरूर, डॉ शमा मोहम्मद, सबा नक्की, मस्कूर उस्मानी, स्लेमन निजामी ने इस तथ्य की जाच किए बिना अचानक टिवरर पर घटना को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया और शाति रोकें के किए। दि-

किए। ट्रिवटर ने वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जिन लोगों पर चेतावनी दी गई है कि वीडियो अपलोड न करें।

निवारिंस्टी (एम्यू) के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष उत्साही को कांग्रेस ने पिछले साल बुक्ट-बुक्ट-नवाचर में बिहार विधानसभा चुनाव उम्मीदवार के रूप में उत्तरा था।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुए के वीडियो में दावा किया गया कि एक बुजुर्ग स्लिम चार लोगों ने मिलकर बुरी हाँ पोटा और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाएवार और उसकी दाढ़ी काट दी। यह वीडियो साइरल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ लेकिन डियों के पीछे की सच्चाई कुछ और है।

गजियाबाद पुलिस ने कहा उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस लाइन में एक व्हायरल पर्सन गुजर को घटना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना 5 जून की है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना दो दिन बाद दी गई थी।

पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे की वजह तात्काल साधना है। पौंडित बुजुर्ग ने अरोपी को कुछ ताजीक दिए थे जिनकी परिणाम न मिलने पर नाराज अरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि पौंडित ने अपनी स्नाक्षर में जय श्री

